झारखण्ड उच्चन्यायालय, रांची

सिविल रिट याचिका संख्या 2927/2017

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, कंपनी अधिनियम के तहत निगमित कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय दरभंगा हाउस, डाकघर- रांची विश्वविद्यालय, थाना- कोतवाली, जिला-रांची (झारखंड) अपने परियोजना पदाधिकारी, करगली वाशरी श्री अचिन्द्र लाल सिंह, पिता- महादेव सिंह निवासी- करगली वाशरी, डाकघर और थाना- बेरमो, जिला-बोकारो (झारखण्ड)।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य।
2. सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, झारखंड सरकार, नेपाल हाउस, डाकघर और थाना - डोरंडा, जिला- रांची।
3. जिला खनन पदाधिकारी, डाकघर और थाना- बोकारो, जिला- बोकारो।
4. सहायक खनन पदाधिकारी, डाकघर और थाना - बोकारो, जिला- बोकारो।

.... प्रतिवादीगण

साथ में

सिविल रिट याचिका संख्या 1258/2011

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, कंपनी अधिनियम के तहत निगमित कंपनी, पंजीकृत कार्यालय- दरभंगा हाउस, डाकघर- रांची विश्वविद्यालय, थान- कोतवाली, जिला-

रांची, कार्यवाहक महाप्रबंधक (प्रशासन) श्री संजय, पिता- श्री सत्यनारायण प्रसाद, वर्तमान निवास- 502, छीर सागर, अपार्टमेंट, कांके रोड, डाकघर और थाना- गोंदा, जिला रांची के माध्यम से।

.... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, झारखंड सरकार, कार्यालय- नेपाल हाउस, डाकघर और थाना- डोरंडा, जिला- रांची
3. जिला खनन पदाधिकारी, चतरा, डाकघर, थाना और जिला- चतरा
4. प्रमाण पत्र पदाधिकारी (खनन) उत्तर छोटानागपुर, हजारीबाग, डाकघर और थाना- हजारीबाग, जिला- हजारीबाग

.... प्रतिवादीगण

साथ में

सिविल रिट याचिका संख्या 1266/2011

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, कंपनी अधिनियम के तहत निगमित कंपनी, पंजीकृत कार्यालय- दरभंगा हाउस, डाकघर- रांची विश्वविद्यालय, थाना- कोतवाली, जिला- रांची, कार्यवाहक महाप्रबंधक (प्रशासन) श्री संजय, पिता- श्री सत्यनारायण प्रसाद, वर्तमान निवास- 502, छीर सागर, अपार्टमेंट, कांके रोड, डाकघर और थाना- गोंदा, जिला रांची के माध्यम से। .... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य।

2. सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, डाकघर+ थाना- डोरंडा, जिला- रांची, झारखंड सरकार।
3. जिला खनन पदाधिकारी,बोकारो, डाकघर, थाना और जिला- बोकारो
4. प्रमाण पत्र पदाधिकारी (खनन) धनबाद, डाकघर,थाना और जिला- धनबाद

...प्रतिवादीगण

साथ में
सिविल रिट याचिका संख्या 1300/2011

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, कंपनी अधिनियम के तहत निगमित कंपनी, पंजीकृत कार्यालय- दरभंगा हाउस, डाकघर- रांची विश्वविद्यालय, थाना - कोतवाली, जिला- रांची, कार्यवाहक महाप्रबंधक (प्रशासन) श्री संजय, पिता- श्री सत्यनारायण प्रसाद, वर्तमान निवास- 502, छीर सागर, अपार्टमेंट, कांके रोड, डाकघर और थाना- गोंदा, जिला रांची के माध्यम से।

.... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, झारखंड सरकार, नेपाल हाउस, डाकघर और थाना- डोरंडा, जिला- रांची
3. जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो, डाकघर और थाना- बोकारो, जिला- बोकारो।
4. प्रमाण पत्र पदाधिकारी (खनन) धनबाद परिक्षेत्र, धनबाद, डाकघर और थाना- धनबाद, जिला- धनबाद

...प्रतिवादीगण

साथ में

सिविल रिट याचिका संख्या 1469/2011

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, कंपनी अधिनियम के तहत निगमित कंपनी, पंजीकृत कार्यालय- दरभंगा हाउस, डाकघर- रांची विश्वविद्यालय, थाना - कोतवाली, जिला- रांची, कार्यवाहक महाप्रबंधक (प्रशासन) श्री संजय, पिता- श्री सत्यनारायण प्रसाद, वर्तमान निवास- 502, छीर सागर, अपार्टमेंट, कांके रोड, डाकघर और थाना- गोंदा, जिला रांची के माध्यम से।

.... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, झारखंड सरकार, नेपाल हाउस, डाकघर और थाना- डोरंडा, जिला- रांची
3. सहायक खनन पदाधिकारी, रामगढ, डाकघर और थाना-रामगढ, जिला- रामगढ।
4. प्रमाण पत्र पदाधिकारी (खनन) उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग, डाकघर और थाना-हजारीबाग, जिला- हजारीबाग।

....प्रतिवादीगण

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद
माननीय न्यायमूर्ति नवनीत कुमार

याचिकाकर्ताओं के लिएः श्री अमित कुमार दास, अधिवक्ता
श्री शिवम उत्कर्ष सहाय, अधिवक्ता
प्रतिवादीगणों के लिए अधिवक्ताः श्री जय प्रकाश, एएजी-आईए (सिविल रिट याचिका संख्या 2927/2017)
श्री ऋषि कुमार वर्मा, एसी से एससी- III (सिविल रिट याचिका संख्या 1258/2011)
श्री गौरांग जाजोदिया, एसी से जीपी- II (सिविल रिट याचिका संख्या 1266/2011; सिविल रिट याचिका संख्या 1300/2011; सिविल रिट याचिका संख्या 1469/2011)

मौखिक निर्णय
10/तिथिः 04 दिसंबर, 2023

न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद, द्वारा।

1. ये रिट याचिकाएं भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हैं, जिसमें जिला/सहायक खनन पदाधिकारी द्वारा पारित मांग पत्रों को रद्द करने का अनुरोध किया गया है, जिसके तहत ब्याज के साथ अतिरिक्त रॉयल्टी के कारण मांग की गई है।

2. रिट याचिकाओं में किए गए अभिवचन के अनुसार मामले के संक्षिप्त तथ्य जो सामान्य प्रकृति के हैं और जिन्हें गिने जाने की आवश्यकता है, उन्हें नीचे पढ़ा जा सकता हैः रिट याचिकाकर्ता- कंपनी कोयले के खनन और बिक्री में लगी हुई है जिसके लिए रिट याचिकाकर्ता कंपनी ने कई खदानों का अधिग्रहण किया है। नतीजतन, रिट याचिकाकर्ता कंपनी ने खानों और खानों से जुड़े अन्य प्रतिष्ठानों को विकसित करने के उद्देश्य से कोयला असर क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण किया है।

यह रिट याचिकाकर्ता का मामला है कि उक्त खानों में रिट याचिकाकर्ता- कंपनी द्वारा खनन किया जा रहा कोयला एक निर्दिष्ट खनिज है और इसलिए, रॉयल्टी की दर केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित और संशोधित की जा रही है और एमएमडीआर अधिनियम की धारा 9

(3) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित धोए गए कोयले के लिए कोई विशेष दर नहीं होने पर, कोयला कंपनी या खनिज कोयले के लिए कोई अन्य खनन पट्टा केवल प्रत्येक श्रेणी के कोयले के लिए निर्दिष्ट दर पर रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और कोयले का वाशरी ग्रेड कोयले का का अलग ग्रेड है जिसके लिए रिट याचिकाकर्ता- कंपनी द्वारा निर्दिष्ट दर पर रॉयल्टी का भुगतान किया जा रहा है।

यह रिट याचिकाकर्ता का मामला है कि खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 64 (ख) और 64 (ग) के तहत यदि खदान का प्रसंस्करण पट्टे के क्षेत्र के भीतर किया जाता है तो पट्टे के क्षेत्र से हटाए गए संसाधित खनिज पर रॉयल्टी प्रभार्य होगी और रिट याचिकाकर्ता- कंपनी को राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा खनन कोयले के लिए कोई पट्टा नहीं दिया गया है क्योंकि जिस भूमि पर खनन कार्य किया जा रहा है, वह रिट याचिकाकर्ता- कंपनी द्वारा कोयला असर अधिनियम (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहित की गई है।

यह रिट याचिकाकर्ता का विशिष्ट मामला है कि जहां खनिज को पट्टे वाले क्षेत्रों के भीतर संसाधित किया जाता है, पट्टेदार संसाधित खनिज पर रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, हालांकि, यदि खनिजों को पट्टे वाले क्षेत्रों के भीतर संसाधित नहीं किया जाता है, तो संसाधित खनिज पर कोई रॉयल्टी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खनन पट्टे वाले क्षेत्रों से हटाए गए खनिजों पर रॉयल्टी का भुगतान करने की आवश्यकता है और रिट याचिकाकर्ता- कंपनी नियमित रूप से राज्य सरकार को रॉयल्टी के बराबर राशि का भुगतान कर रही है एमएमडीआर अधिनियम की धारा 9(3) के तहत।

3. हालांकि, तय किए गए प्रस्ताव को नजरअंदाज करते हुए संबंधित जिलों के संबंधित जिला/सहायक खनन पदाधिकारी ने अतिरिक्त रॉयल्टी की मांग कीः
(i) सिविल रिट याचिका संख्या 2927/2017 में ज्ञापन संख्या. 4441/एम में निहित दिनांक 25.10.2016 के पत्र के माध्यम से करगली कोलियरी को रूपये 3,88,58,658/- के ब्याज के साथ रूपये 8,76,39,205/- अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान करने का निर्देश दिया था;

(ii) सिविल रिट याचिका याचिका संख्या 1258/2011 में दिनांक 14.10.2009 के पत्र संख्या 654 द्वारा पिपरवार वाशरी को रूपये 8,50,71,806/- की अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान करने का निर्देश दिया था;

(iii) सिविल रिट याचिका संख्या 1266/2011 द्वारा पत्र संख्या 3865 दिनांक 17.11.2009; पत्र संख्या 3963 दिनांक 24.11.2009; पत्र संख्या 5073 दिनांक 12.12.2009 ने सवांग वाशरी को रूपये 21,66,34,052/- की अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान करने का निर्देश दिया था;

(iv) सिविल रिट याचिका संख्या 1300/2011 में दिनांक 26.02.2010 को पत्र संख्या 893 के माध्यम से कथारा वाशरी को रूपये 62,26,66,130/- की अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान करने का निर्देश दिया था;

(v) सिविल रिट याचिका संख्या 1469/2011 में दिनांक 13.10.2009 के पत्र संख्या 1228 द्वारा राजरप्पा वाशरी को रु. 14,65,99,464/- के ब्याज सहित अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

अतिरिक्त रॉयल्टी राशि की मांग से व्यथित होने के कारण, रिट याचिकाकर्ता- कंपनी ने प्रतिवादी- प्राधिकरण से यह कहते हुए अभ्यावेदन दाखिल करके संपर्क किया कि वाशरी में धोए गए कोयले पर कोई अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे किसी पट्टा धारक क्षेत्र के भीतर स्थित नहीं हैं, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके विरुद्ध उपरोक्त मांग पत्रों को रद्द करने की मांग करने वाली वर्तमान रिट याचिकाओं को प्राथमिकता दी गई है।

4. रिट याचिकाओं में किए गए अभिवचन से और जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है कि रिट याचिकाकर्ता ने रॉयल्टी के माध्यम से जारी विभिन्न मांगों को इस आधार पर चुनौती दी है कि उक्त रॉयल्टी रिट याचिकाकर्ता द्वारा सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड, रिट याचिकाकर्ता के स्वामित्व वाली भूमि के कारण देय नहीं है, जिसे कोल बेयरिंग कक्ट, 1957 के प्रावधान के तहत अधिग्रहित किया गया है।

5. इसमें यह आधार भी लिया गया है कि गैर-प्रसंस्कृत कोयले पर रॉयल्टी का भुगतान किया गया है, लेकिन उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखे बिना फिर से खनन रियायत नियम, 1960 के नियम 64 (ख) और 64 (ग) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए कोयले की प्रक्रिया पर रॉयल्टी की मांग की गई है (पूर्व-संशोधित)।

6. रिट याचिकाकर्ता- सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड की विद्वान वकील श्रीमती अमित कुमार दास की ओर से तर्क दिया गया है कि हालांकि यह दलील दी गई है कि सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि भूमि कोयला असर अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहित की गई है, लेकिन मुख्य आधार यह है कि रॉयल्टी का भुगतान गैर- संसाधित कोयले पर किया गया है क्योंकि रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए रिट याचिकाकर्ता का मामला नियम, 1960 के नियम 64 (ख)(2) के प्रावधान के तहत है।

7. यह तर्क दिया गया है कि यह नियम, 1960 के नियम 64 (ख)(1) का मामला नहीं है क्योंकि वाशरी लीज होल्ड क्षेत्र से परे स्थित हैं और इसलिए, रॉयल्टी जो सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड, रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा उपरोक्त नियमों के नियम 64 (ख)(2) के तहत निहित वैधानिक प्रावधान की आवश्यकता के अनुसार असंसाधित कोयले पर भुगतान करने की आवश्यकता थी, का भुगतान किया गया है, लेकिन जिला/सहायक खनन 6 पदाधिकारी ने मांग उठाते समय उपरोक्त तथ्य पर विचार नहीं किया है और उपरोक्त नियमों के नियम 64(ख) और 64(ग) के प्रावधान का संदर्भ देकर संसाधित कोयले पर भी मांग की है।

8. आगे यह तर्क दिया गया है कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां नियम 64(ख) का प्रावधान बिल्कुल भी लागू होता है क्योंकि यह अन्य उद्देश्यों के लिए है, लेकिन फिर भी नियम 64(ख) और 64(ग) दोनों के तहत मांगें उठाई गई हैं।

9. आगे यह तर्क दिया गया है कि नियम 64(ख) के उपबंध में दो उपबंध हैं, उपधारा (1) और उपधारा (2) और दोनों रॉयल्टी का भुगतान करने की विभिन्न संभावनाओं के लिए हैं जबकि 64 (ग) रॉयल्टी की मांग बढ़ाने के अन्य उद्देश्य के लिए है। इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि

विवादित आदेश इस बात का उल्लेख नहीं करते हैं कि कानून के किस विशिष्ट प्रावधान के तहत ऐसी मांगें उठाई गई हैं।

10. इसके अलावा, इस तरह का निर्णय लेने से पहले, जिला/सहायक खनन पदाधिकारी ने सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है।

11. उपर्युक्त आधार के आधार पर रिट याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित आदेश अवैधता से ग्रस्त हैं और इसलिए, कानून की नजर में टिकाऊ नहीं हैं और रद्द किए जाने और अलग किए जाने के योग्य हैं।

12. इसके विपरीत, प्रतिवादी- राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान एएजी-आईए श्री जय प्रकाश ने रिट याचिकाओं में की गई अभिवचन का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया है कि रिट याचिकाकर्ता ने देनदारी से इनकार करके अनुरोध किया है क्योंकि भूमि कोयला वहन अधिनियम, 1957 के तहत किए गए अधिग्रहण के आधार पर स्वामित्व में है, इसलिए , इस आधार पर रिट याचिकाकर्ता का कोई मामला नहीं है क्योंकि कुछ अनुच्छेद में, रिट याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया है कि रॉयल्टी की राशि का नियमित रूप से भुगतान किया गया है जो यह सुझाव देता है कि रॉयल्टी का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है, इस मुद्दे को उठाने का सवाल कहां है कि रॉयल्टी रिट याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान करने के लिए लागू नहीं है।

13. विद्वान् एएजी-आईए यह प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त है कि यह नियम, 1960 के नियम 64 (ग) का मामला नहीं है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की है कि नियम 64 (ख) में दो प्रावधान हैं, इस प्रकार, यह जिला/सहायक खनन पदाधिकारी पर बाध्यकारी था कि वह नियम 64 (ख) (1) या 64 (ख) (2) के प्रावधान के निहितार्थ का उल्लेख करके आदेश पारित करे।

14. आगे यह स्वीकार किया जाता है कि आदेशों पर आकर यह आक्षेप किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता को कोई कारण बताओ नोटिस/सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था।

15. उपरोक्त प्रस्तुति के जवाब में, रिट याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील ने रिट याचिका (एस) संख्या 2927/2017 होने वाली रिट याचिका के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लेख करके प्रस्तुत किया है जिसमें इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि रॉयल्टी की राशि का भुगतान किया गया है और इसलिए अब केवल प्रश्न है जिस पर विचार किया जाना चाहिक कि यह नियम 64 (ख)(2) का मामला है न कि नियम 64(क) का क्योंकि रिट याचिकाकर्ता पहले ही नियम 64 (ख)(2) की आवश्यकता के अनुसार असंसाधित कोयले की रॉयल्टी का भुगतान कर चुका है, इसलिए मांगें अवैध हैं।

16. जवाब में यह भी प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया था, इसलिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है और यदि रिट याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया होता, तो कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी तथ्यों को संबंधित प्राधिकारी के संज्ञान में लाया जाता।

17. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है, रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के साथ-साथ इन रिट याचिकाओं में आक्षेपित अधिकारियों के निर्णय का भी अवलोकन किया है।

18. राज्य की ओर से गंभीर आपत्ति जताई गई है कि रिट याचिकाकर्ता ने इस आधार पर अपनी देनदारी से इनकार किया है कि भूमि कोयला धारक अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहित की गई है, इसलिए, भूमि रिट याचिकाकर्ता के स्वामित्व में है, इसलिए, रिट याचिकाकर्ता रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

19. हालांकि, तर्क के पाठ्यक्रम में, श्री दास ने बार में रिट याचिका (एस) संख्या 2927/2017 के अनुच्छेद-14 और 19 का उल्लेख करके प्रस्तुत किया कि असंसाधित कोयले की रॉयल्टी का भुगतान सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है और इस न्यायालय ने उक्त अनुच्छेद पर ध्यान दिया है। इस संदर्भ में, उक्त अनुच्छेद को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः

"14. यह कहा गया है कि इस प्रकार जाहिरा तौर पर जहां खनिज को लीज होल्ड क्षेत्र के भीतर

संसाधित किया जाता है, पट्टेदार संसाधित खनिज पर रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। हालांकि, यदि खनिजों को लीज होल्ड क्षेत्र के भीतर संसाधित नहीं किया जाता है, तो संसाधित खनिज पर रॉयल्टी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खनन लीज क्षेत्र से हटाए गए खनिजों पर रॉयल्टी का भुगतान करने की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता कंपनी नियमित रूप से कोयले के तहत राज्य सरकार को रॉयल्टी के बराबर कुछ का भुगतान कर रही है, जो कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम की धारा 9(3) के संदर्भ में याचिकाकर्ता कंपनी की विभिन्न खदानों में खनन किया जाता है। कानूनी प्रावधान को स्वीकार करते हुए, यहां तक कि राज्य सरकार ने कभी भी कारगिल वाशरी में संसाधित कोयले पर रॉयल्टी के भुगतान के लिए कभी जोर नहीं दिया।

19. यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता की कारगिल वाशरी पट्टे पर दिए गए क्षेत्र पर स्थित नहीं है, प्रतिवादी गणों द्वारा धोए गए कोयले पर अतिरिक्त रॉयल्टी की मांग करना उचित नहीं है।"

20. श्री दास ने उपर्युक्त अभिवचन के आधार पर प्रस्तुत किया है कि रॉयल्टी की राशि का भुगतान असंसाधित कोयले से किया गया है, इसलिए कोई दायित्व नहीं है, बल्कि तर्क यह है कि यदि अनुच्छेद 14 और 29 में दिए गए कथन पर विचार किया जाकगा कि चूंकि रॉयल्टी का भुगतान असंसाधित कोयले से किया गया है, जो नियम 64 (ख)(2) की आवश्यकता के अनुसार है, इसलिए मांगें अवैध हैं।

21. आगे का आधार यह है कि रिट याचिकाकर्ता को कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया है, इसलिए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

22. यह न्यायालय अब इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी की गई मांगों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना कहा जा सकता है।

23. कानून अच्छी तरह से तय किया गया है कि कोई भी मांग या कोई प्रतिकूल निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जा रहा है, वही संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद

ही है क्योंकि सुनवाई का अवसर प्रदान करने का सिद्धांत प्राकृतिक न्याय का मूल सिद्धांत है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मेनका गांधी बनाम भारत संघ और अन्य, (1978) 1 एससीसी 248 में अभिनिर्धारित किया गया है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद- 184 को निम्नानुसार संदर्भित किया जा रहा हैः

“184. राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि उपखंड 10 (3) (सी) के तहत एक आदेश पासपोर्ट प्राधिकरण की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर है और चूंकि निर्णय विशुद्ध रूप से प्रशासनिक चरित्र का है, इसलिए बहुत सीमित आधारों के अलावा किसी अदालत में इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। हालाँकि अदालतों ने यह विचार रखा था कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत प्रशासनिक आदेशों पर लागू नहीं होता है, लेकिन बाद में न्यायिक राय में बदलाव आया है। एक ओर न्यायिक या अर्ध-न्यायिक निर्धारण और दूसरी ओर कार्यकारी या प्रशासनिक निर्धारण के बीच की सीमा धुंधली हो गई है। यह कठोर दृष्टिकोण कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत केवल न्यायिक और अर्ध-न्यायिक कृत्यों पर लागू होते हैं और प्रशासनिक कृत्यों पर नहीं। इस विषय पर अदालतों द्वारा लिए गए विचार सुसंगत नहीं हैं। जबकि पहले के निर्णय प्राकृतिक न्याय की कीमत पर प्रशासनिक सुविधा और दक्षता के पक्ष में थे, हाल का दृष्टिकोण प्राकृतिक न्याय के अनुप्रयोग और कर्तव्य को इस सावधानी के साथ निष्पक्ष रूप से कार्य करने के पक्ष में है कि सिद्धांत को चरम पर नहीं बढ़ाया जाना चाहिए ताकि प्रशासनिक दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इस संबंध में रसेल बनाम ड्यूक ऑफ नॉरफ़ॉक [(1949) 1 ऑल ईआर 109,118] में लॉर्ड जस्टिस टकर की बार-बार दोहराई गई टिप्पणियों को उद्धृत करना उपयोगी है। प्राकृतिक न्याय की आवश्यकताएं मामले की परिस्थितियों, जांच की प्रकृति, उन नियमों पर निर्भर होनी चाहिए जिनके तहत न्यायाधिकरण कार्य कर रहा है, जिस विषय-वस्तु से निपटा जा रहा है, और इसी तरह... लेकिन, जो भी मानक अपनाया जाता है, एक आवश्यक बात यह है कि संबंधित व्यक्ति को अपना मामला पेश करने का उचित अवसर मिलना चाहिए। आर. वी. गेमिंग बोर्ड में एक्. पी. बेनैम [(1970) 2 क्यूबी 417: (1970) 2 ऑल ईआर 528] लॉर्ड डेनिंग ने माना कि यह विचार कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत केवल न्यायिक कार्यवाही पर लागू होता है और प्रशासनिक कार्यवाही पर नहीं, रिज बनाम बाल्डविन [(1964) एसी 40] में खारिज कर दिया गया है। गेमिंग बोर्ड को जो मार्गदर्शन दिया गया था, वह यह था कि उन्हें अप्रवासियों के मामले में निर्धारित सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, अर्थात्, उन्हें आने का कोई अधिकार नहीं

है, लेकिन उन्हें सुनवाई का अधिकार है। न्यायालय ने इन शब्दों का अर्थ लगाते हुए कहा कि बोर्ड को केवल निर्दिष्ट मामले पर ध्यान देना होगा, बोर्ड का कर्तव्य है कि वह निष्पक्ष रूप से कार्य करे और उसे आवेदक को धारा में निर्दिष्ट मामले के बारे में उन्हें संतुष्ट करने का अवसर देना चाहिए। उन्हें उन्हें यह बताना चाहिए कि उनकी छापें क्या हैं ताकि वह उन्हें निराश कर सके। आप्रवासियों के मामलों का संदर्भ रे एच. के. में मुख्य न्यायाधीश पार्कर के निर्णयों के लिए है (एक शिशु [(1967) 2 क्यू. बी. 617,630]) प्रवासियों के मामलों में हालांकि उन्हें देश में आने का कोई अधिकार नहीं था, यह माना गया कि उन्हें सुनवाई का अधिकार है। ये टिप्पणियां वर्तमान मामले और याचिकाकर्ता की याचिका पर लागू होती हैं कि प्राधिकरण को निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए और उन्हें उसे बताना चाहिए कि उनके प्रभाव क्या हैं ताकि, यदि संभव हो, तो वह उन्हें खारिज कर सकती है।"

24. यह भी तय किया गया है कि कारण बताओ नोटिस दिया गया है या नहीं, यह विवादित निर्णय से परिलक्षित होता है ताकि आदेश को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन के बाद कहा जा सके।

25. हमने आक्षेपित आदेश पर विचार किया है और पाया है कि उसमें कारण बताओ नोटिस का कोई संदर्भ नहीं है।

26. विद्वान् एएजी- आईए ने दायित्व बढ़ाने वाले आदेश को स्वीकार करते हुए निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया है कि रिट याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था।

27. रिट याचिकाकर्ता ने यह भी बयान दिया है कि अचानक मांग नोटिस जारी किए गए हैं। विद्वत राज्य वकील द्वारा उपरोक्त कथन का खंडन नहीं किया गया है।

28. तब से यह मुद्दा नियम 64(1) या नियम 64(ख)(2) की प्रयोज्यता के संबंध में उठाया गया है और आगे नियम 64(ग) के तहत मांग उठाई गई है, लेकिन इस बात पर कोई विचार नहीं किया गया है कि क्या नियम 64(ख)(1) लागू है या नियम 64(1) लागू है। इसके अलावा, इसमें कोई कारण नहीं दिया गया है कि नियम 64(ग) किस आधार पर लागू

होता है, क्योंकि विवादित आदेश, यह बहुत स्पष्ट है कि उपरोक्त आदेश बिना किसी कारण के मांगों को उठाते हुए पारित किए गए हैं, वह भी नियम 64(ख)(1) या नियम 64(ख)(2) के विशिष्ट प्रावधान की प्रयोज्यता की कोई चर्चा नहीं है और आगे नियम 64 (ग) को उसमें क्यों संदर्भित किया गया है, उसमें कोई संदर्भ नहीं है।

29. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि उक्त आदेशों को तर्कपूर्ण और बोलने वाला नहीं कहा जा सकता है।

30. कानून अच्छी तरह से तय है कि किसी भी कारण के अभाव में, यदि प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है, तो वह भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है क्योंकि तर्क को निर्णय की आत्मा कहा जाता है। इस संबंध में राज किशोर झा बनाम बिहार राज्य और अन्य, (2003) 11 एससीसी 519 मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जाये, जिसमें, यह अनुच्छेद-19 में निम्नानुसार आयोजित किया गया हैः-

".....
.....कारण प्रत्येक निष्कर्ष के दिल की धड़कन है। इसके बिना, यह निर्जीव हो जाता है ....

31. इस प्रकार, क्रांति एसोसिएट्स(पी) लिमिटेड और अन्य बनाम मसूद अहमद खान और अन्य, (2010) 9 एससीसी 496 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें, अनुच्छेद 47 पर, इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः

"47.....

(ज) कानून के शासन और संवैधानिक शासन के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों में चल रही न्यायिक प्रवृत्ति प्रासंगिक तथ्यों के आधार पर तर्कपूर्ण निर्णयों के पक्ष में है। यह वस्तुतः न्यायिक निर्णय लेने की जीवन-धारा है जो इस सिद्धांत को उचित ठहराती है कि तर्क न्याय की आत्मा है।

32. अतः इस न्यायालय का विचार है कि आक्षेपित आदेश रिट याचिका की सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना और नियम 64(ख)(1) नियम 64(ख)(2) और नियम 64(ग) के उपबंध की प्रयोज्यता के बारे में चर्चा किए बिना जारी किए गए हैं, इसलिए इस न्यायालय का विचार है कि आक्षेपित आदेशों में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

33. तदनुसार, 25.10.2016, 14.10.2009, 17.11.2009, 24.11.2009, 12.12.2009, 26.02.2010,13. 10.2009 के आक्षेपित आदेश रद्द कर दिए गुए हैं और अलग कर दिए गए हैं।

34. चूंकि इस न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर विवादित आदेशों में हस्तक्षेप किया है, इसलिए कानून की आवश्यकता यह होगी कि मामले को रिट याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करके नए आदेश पारित करने के लिए संबंधित जिला/सहायक खनन पदाधिकारी के समक्ष भेजा जाना चाहिए ताकि यह तय किया जा सकेः

(i) क्या यह नियम 64 (ख) (1) का मामला है या;

(ii) क्या यह नियम 64 (ख) (2) का मामला है या;

(iii) क्या यह नियम 64 का मामला है।

35. संबंधित सक्षम प्राधिकारी को कानून के अनुसार बोलने वाला आदेश पारित करके उस प्रभाव का निर्णय लेने दें, लेकिन इससे पहले यह संबंधित जिला/सहायक खनन पदाधिकारी पर बाध्यकारी है कि वह रिट याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करे जो इस आदेश की प्राप्ति/प्रति पेश करने की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर जारी किया जायेगा।

रिट याचिकाकर्ता, इस तरह के कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति पर, उसके बाद तीन सप्ताह की अवधि के भीतर जवाब दाखिल करेगा।

संबंधित जिला/सहायक खनन पदाधिकारी तर्कपूर्ण आदेश पारित करके इस तरह के जवाब की प्राप्ति की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर अधिमानतः कानून के अनुसार निर्णय लेगा।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि नोटिस प्राप्त होने के बाद भी संबंधित पक्ष की ओर से कोई उपस्थिति नहीं है, तो संबंधित प्राधिकारी कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगा।

जो मांगें तत्काल रिट याचिकाओं का विषय हैं, वे संबंधित जिला/सहायक खनन पदाधिकारी द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेंगी।

36. तदनुसार, सभी तत्काल रिट याचिकाओं का निपटारा उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ किया जाता है।

37. लंबित अंतर्वर्ती आवेदन(ओं) यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जायेगा।

(न्यायमूर्ति,सुजीत नारायण प्रसाद)

(न्यायमूर्ति नवनीत कुमार)

यह अनुवाद पैनल अनुवादक मदन मोहन प्रिय द्वारा किया गया है।